समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O) मो0–8544426112
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.in ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2019 को आयोजित खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत् धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितः– यथा पंजी।

आज दिनांक 21.01.2019 को खरीफ विपणन मौसम 2018–19 हेतु धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत पैक्सों/व्यापार मण्डलों द्वारा की गयी धान अधिप्राप्ति, CMR प्राप्ति, किसानों के भुगतान, राइस मिलों का ऑनलाईन निबंधन, निबंधित राइस मिलों का भौतिक सत्यापन, कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृति, किसानों का ऑनलाईन निबंधन एवं राइस मिलों के संबद्धता से संबंधित समीक्षा की गयी।

1. **किसानों से किये गये धान अधिप्राप्ति की समीक्षा :–** खरीफ विपणन मौसम 2018–19 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति की समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदित तिथि तक 313 किसानों से 3295.272 एमटी0 धान की खरीदारी की गयी है। धान अधिप्राप्ति में धीमी प्रगति पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी। स्पष्ट है कि सभी चयनित पैक्सों/व्यापार मण्डलों को कैश–क्रेडिट की राशि प्राप्त होने के बावजूद भी धान अधिप्राप्ति कार्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियमित रूप से धान अधिप्राप्ति का निरीक्षण एवं समीक्षा करने का निदेश दिया गया तथा प्रतिवेदित तिथि तक धान अधिप्राप्ति को लक्ष्य से काफी कम बताते हुए इसकी गति बढ़ाने का निदेश दिया गया **(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला बक्सर)।**
2. **CMR प्राप्ति की समीक्षा :–** जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल अधिप्राप्ति धान 3295.42 एमटी0 का CMR 2214.52 एमटी0 होता है, जबकि प्रतिवेदित तिथि तक CMR की प्राप्ति शून्य है। CMR प्राप्ति नहीं होने से कैश–क्रेडिट लिमिट की राशि का Rotation नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को अविलंब CMR उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्पष्ट किया कि दो दिनों के अन्दर CMR प्राप्ति प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को निदेशित कर दिया गया है तथा राज्य खाद्य निगम कार्यालय, बक्सर से गन्नी बैग्स प्राप्त कर पैक्सों/व्यापार मण्डलों को उपलब्ध करा दिया गया है **(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर)।**
3. **किसानों के भुगतान से संबंधित समीक्षा :–** जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि किसानों को 3.38 करोड़ रू0 का भुगतान PFMS द्वारा सीधे किसान के खाते में हस्तानांरण कर दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिप्राप्ति धान के मूल्य 5.76 करोड़ रू0 के विरूद्ध मात्र 3.38 करोड़ रू0 का भुगतान किया गया है, जो कुल राशि का 50% ही मात्र है। इस संबंध में सभी प्रखण्डों में पदस्थापित कार्यपालक सहायकों को प्रशिक्षित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को भुगतान में तेजी लाने का सख्त निदेश दिया गया तथा दो दिनों के अन्दर शत्–प्रतिशत किसानों को राशि का भुगतान करने का निदेश दिया गया। इस पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा अधोहस्ताक्षरी को स्पष्ट किया गया कि दो दिनों के अन्दर सभी किसानों को राशि का भुगतान PFMS से कर दिया जाएगा **(अनुपालन :– जिला सहकारिता पदाधिकारी,**

बक्सर/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला बक्सर/सभी चयनित पैक्स अध्यक्ष/प्रबंधक, व्यापार मण्डल)।

4. **<u>राइस मिलों का ऑनलाईन निबंधन से संबंधित समीक्षा</u> :–** जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रतिवेदित तिथि तक मात्र 33 राइस मिलों के द्वारा ऑनलाईन निबंधन कराया गया है, जिसकी सूची जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर को प्रेषित कर दिया गया है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पिछले वर्ष से कम निबंधन होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा शेष निबंधन नहीं कराने वाले राइस मिलों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक राइस मिलों का ऑनलाईन निबंधन कराने का निदेश दिया गया **(अनुपालन :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर)।**
5. **<u>निबंधित राइस मिलों का भौतिक सत्यापन से संबंधित समीक्षा</u> :–** बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सभी निबंधित राइस मिलों का भौतिक सत्यापन आदेश भवदीय के स्तर से निर्गत कर दिया गया है, जिसमें से 28 राइस मिलों का भौतिक सत्यापन प्राप्त है, जिसमें 21 पात्र राइस मिलों की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को प्रेषित कर दिया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा शेष सभी पात्र राइस मिलों की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर को पैक्सों/व्यापार मण्डलों से संबद्ध करने हेतु उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया **(अनुपालन :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर)।**
6. **<u>राइस मिलों के संबद्धता से संबंधित समीक्षा</u> :–** जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदित तिथि तक 66 पैक्सों/व्यापार मण्डलों को पात्र राइस मिलों के साथ संबद्ध कर दिया गया है तथा पैक्सों/व्यापार मण्डलों से एकरारनामा कराया जा रहा है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा शेष बचे हुए पैक्सों/व्यापार मण्डलों को भी पात्र राइस मिलों के भौगोलिक दूरी, मिलिंग क्षमता के आधार पर अविलंब संबद्ध करने का निदेश दिया गया **(अनुपालन :–जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर)।**
7. **<u>कैश क्रेडिट लिमिट से संबंधित समीक्षा</u> :–** समीक्षा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रतिवेदित किया कि पूर्व में चयनित 84 पैक्सों 5 व्यापार मण्डलों को 7.59 करोड़ रू0 की कैश–क्रेडिट लिमिट प्रदान की गयी थी, लेकिन पुनः बैंक द्वारा कैश–क्रेडिट लिमिट बढ़ाकर 24.51 करोड़ रू0 किया गया है, जिससे अधिप्राप्ति में तेजी आएगी। यद्यपि संबद्ध पैक्सों का कैश–क्रेडिट लिमिट बैंक द्वारा नहीं दिया गया है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अविलंब प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक, आरा से समन्वय स्थापित कर शेष कैश–क्रेडिट उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया **(अनुपालन :–जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, आरा)।**
8. **<u>किसानों का ऑनलाईन निबंधन से संबंधित समीक्षा</u> :–** जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदित तिथि तक 2126 किसानों का ऑनलाईन निबंधन हुआ है, जिसमें से 1975 किसान ही अधिप्राप्ति के पात्र है। LPC तथा लगान रसीद ऑनलाईन निर्गत होने के कारण किसानों द्वारा धीमी गति से निबंधन कराया जा रहा है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर द्वारा केवल अधिप्राप्ति कार्य में प्रयोग करने हेतु Offline LPC निर्गत करने का अनुरोध भी किया गया। **<u>इस संबंध में टास्क फोर्स द्वारा सर्वसम्मति से सभी अंचलाधिकारी, जिला बक्सर को केवल धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु Offline LPC निर्गत करने का निदेश दिया गया</u> (अनुपालन :–अपर समाहर्त्ता, बक्सर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/सभी अंचलाधिकारी, जिला बक्सर/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला बक्सर)।**

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 04-133 /आ0, दिनांक 02/02/2019

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, आरा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0/सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, बक्सर/डुमरॉव/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियॉ, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, बक्सर/जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/सभी वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिप्राप्ति उप समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, बक्सर–सह–नोडल पदाधिकारी, धान अधिप्राप्ति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ समर्पित

प्रतिलिपि– आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।